राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांकः– प. 12(5)वन / 2012 **जयपुर, दिनांक** 15 OCT 2022

आज्ञा

सहायक वन संरक्षक एवं वन रेंज ऑफिसर ग्रेड–प्रथम भर्ती परीक्षा, 2018 के परिणाम एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान वन सेवा नियम, 1962 के नियम 28 एवं 29 के अनुसरण एवं एस.बी.सिविल रिट याचिका 13059 / 2022 विकास कुमार मीना व अन्य बनाम राज्य सरकार में पारित निर्णय दिनांक 11.10.2022 की पालना मे महामहिम राज्यपाल महोदय निम्नांकित अभ्यर्थियों को राजस्थान वन सेवा में सहायक वन संरक्षक के पद पर दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में उपस्थिति देने की संगत तिथि से राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश / परिपत्र तथा सेवा नियमों के अनुसार देय स्थिर पारिश्रमिक / वेतन भत्तो पर विभाग द्वारा जारी पूर्व समसंख्यक आज्ञा दिनाक 26.08.2022 एवं 04.10.2022 की निरंतरता मे एतद् द्वारा नियुक्त करते हैं:–

S. No.	MERIT No.	ROLL No.	NAME OF CANDIDATE (SHRI/SMT./MS.)	DATE OF BIRTH	CATEGORY	REMARK	PHOTO
1	25	401674	BABU LAL CHOUDHARY	10-11-1992	BC, NG	GEN M	
2	33	411010	PRIYAVARTI SINGH JAITAWAT	20-10-1992	GE, NG	GEN M	
3	37	370868	KOMAL SHARMA	04-07-1997	GE, WE	GEN F	
4	45	355433	MAITRY CHOUDHARY	03-05-1989	BC, WE, DV	GEN F DV	
5	88	370482	DINESH SINGH GURJAR	12-09-1998	MB	MBC M	
6	108	405746	RAJU	13-05-1996	SC, RG	SC M	
7	110	385919	REKHA VERMA	16-07-1997	SC,WE	SC F	
8	120	385114	SANTOSH MEENA	03-01-1996	ST, WE	ST F	

1. उक्त नियुक्तियाँ माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में दायर एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 6157/2022 बलबीर सिंह बनाम राजस्थान राज्य, डी.बी. स्पेशल अपील रिट संख्या 710/2022, 711/2022, 718/2022 एवं अन्य समस्त वादकरण के अंतिम निर्णयों के अध्यधीन रहेंगी।

2. उक्त नियुक्तियाँ समस्त मूल दस्तावेजों की जाँच एवं प्रकरण में प्रशासनिक सुधार (अनु-3) विभाग की आज्ञा क्रमांक प.6(22)प्रसु/अनु-3/2000 दिनांक 10.02.2010 द्वारा गठित प्री-लिटिगेशन समिति के अपील/नो अपील के निर्णय के अध्यधीन रहेगी।

3. परिवीक्षाधीन अभ्यर्थियो को वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक: प. 1(2)वित्त/नियम/06 दिनांक 13.03.2006, प. 14(1) वित्त/नियम/2013 पार्ट दिनांक 08.06.2015 तथा प. 15(1)वित्त/नियम/2017 दिनांक 30.10.2017 (Schedule IV/Rule No. 16) के अनुसरण में नियत पारिश्रमिक दिया जायेगा। इस बाबत अभ्यर्थी को सहमति लिखित रूप मे प्रस्तुत करनी होगी। परिवीक्षाधीन अवधि में कोई वार्षिक वेतन वृद्धि, अन्य भत्ते यथा मकान किराया भत्ता, महगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता आदि देय नही होगा। यह पारिश्रमिक माननीय उच्चतम न्यायालय मे लंबित एस0एल0पी0 सं. 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगा।

4. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राजकीय सेवा मे कार्यरत हैं उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन भत्ते देय होगे, परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम (through Proper Channel) से कार्यमुक्त किये जाने के आदेश, अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं गत भुगतान प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

5. अभ्यर्थी द्वारा परिवीक्षा अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरांत ही वेतन निर्धारण सहायक वन संरक्षक की पे-मैट्रिक्स एल-14 में निर्धारित किया जावेगा एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।

6. गर्भवती महिलाओं के लिये कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र क्रमाकः प. 15(1)कार्मिक/क-2/74 दिनांक 16.08.2005 मे वर्णनानुसार नियुक्ति आदेश प्रभावी होंगे।

7. अभ्यर्थियों की जन्म तारीख वही है, जो इन्होने परीक्षा के आवेदन पत्रों मे अंकित की है और जिन्हें राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सम्यक सत्यापन के पश्चात स्वीकार किया गया है।

8. सेवा मे नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों में से कोई भी अभ्यर्थी यदि प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान या प्रशिक्षण की समाप्ति के दो वर्षो के अन्दर त्याग-पत्र दे देता है, या कोई अन्यत्र नियुक्ति ग्रहण कर लेता है, तो प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान उसे संदत्त की गई परिलब्धियों की दो गुना राशि तथा सरकार द्वारा उसके प्रशिक्षण पर व्यय की गई राशि की दो गुना राशि सरकार को प्रति संदत्त करने की अपेक्षा की जायेगी तथापि यात्रा और दैनिक भत्तो के रूप में संदत्त रकम वसूली योग्य नहीं होगी। अभ्यर्थी सेवा ग्रहण करने से पूर्व विहित प्रारूप में इस आशय का एक बन्ध-पत्र निष्पादित करेंगे।

9. राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुभाग-I अध्याय में आने वाले मामलों को छोड़कर सेवा ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा भत्ता संदत्त नही होगा।

10. अभ्यर्थियों को देय पेंशन योजना के संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये जाने वाले प्रावधान लागू होगें।

11. अभ्यर्थियों को वन शिक्षा निदेशालय से 24 माह का इंडक्शन प्रशिक्षण उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। इस क्रम में समस्त नियुक्त अभ्यर्थियों पर राजस्थान वन सेवा नियम, 1962 में विहित प्रशिक्षण संबंधी प्रावधान लागू होगें। अभ्यर्थियों को स्थाईकरण से पूर्व विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

12. बकाया चरित्र सत्यापन में विलम्ब की स्थिति मे ऐसे अभ्यर्थियों को पूर्ण रूप से प्रोविजनल मानते हुए इनकी नियुक्ति चरित्र सत्यापन रिपोर्ट के अध्यधीन रहेगी। यदि किसी अभ्यर्थी के विरूद्ध प्रतिकूल चरित्र सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होती है तो उसकी नियुक्ति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी। इस संबंध में अभ्यर्थी का नियुक्ति हेतु दावा मान्य नहीं होगा।

13. नियुक्ति से पूर्व के आपराधिक प्रकरणों के संबंध में अभ्यर्थी को कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 1(5)डीओपी/क-2/17 दिनांक 15.5.2018 अनुरूप 'Attestation Form' एवं 'Identity Certificate'प्रस्तुत करना होगा। यदि किसी अभ्यर्थी के विरूद्ध प्रतिकूल रिपोर्ट पाई जाती है तो ऐसे अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त समझी जावेगी, साथ ही ऐसे अभ्यर्थी के विरूद्ध नियमानुसार आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी अमल में लाई जावेगी।

14. अभ्यर्थी जो विवाहित है, उन्हें अपना विवाह पजीयन प्रमाण-पत्र, जीवित संतान/संतानों की सूचना से संबंधी घोषणा उपस्थिति के समय प्रस्तुत करनी होगी। दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात दो से अधिक सन्तान होने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के पात्र नहीं हैं, परन्तु यदि प्रथम प्रसव से एक जीवित सन्तान है एवं पश्चातवर्ती प्रसव में एक से अधिक सन्तान होने पर ऐसी सन्तानों को एक इकाई ही माना जायेगा।

15. यदि राज्य सरकार की राय मे अभ्यर्थियों का कार्य या आचरण प्रशिक्षण अवधि एवं परीवीक्षा की समयावधि मे संतोषप्रद नहीं पाया जाये अथवा यह प्रतीत हो कि इनमे एक दक्ष राजस्थान वन सेवा अधिकारी होने की क्षमता नहीं है तो सरकार इन्हें सेवा से तुरन्त विमुक्त कर सकेगी।

16. यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा निश्चित तिथि तक उपस्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जाती है और न ही किसी प्रकार की सूचना विभाग को भिजवायी जाती है तो ऐसे अभ्यर्थी का नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जाएगा।

17. अभ्यर्थी की नियुक्ति तिथि सहायक वन संरक्षक के पद पर कार्यग्रहण की तिथि से मान्य होगी तथा सम्बन्धित सेवा नियमो और सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों एवं शर्तो के अध्यधीन रहेगी।

18. **अभ्यर्थियों द्वारा अंतिम रूप से दिनांक 19.10.2022 को सांयकाल 5.00 बजे तक कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) अरण्य भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर में सभा भवन, प्रथम तल, सी–विंग में अपनी उपस्थिति दी जाएगी।**

राज्यपाल की आज्ञा से,

18/10/22

(अंजू राजपाल)
संयुक्त शासन सचिव, वन

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :–

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय वन मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
6. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वन।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
9. निजी सचिव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, राजस्थान, जयपुर।
10. संयुक्त शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग।
11. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग।
12. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधयी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. निदेशक, पेंशन एवं पेंशन वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
14. निदेशक, वन शिक्षा निदेशालय, देहरादून।
15. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग।
16. उ. व. संरक्षक, सूचना एवं प्रौद्यो., कार्या. प्र.मु.व.स को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
17. उप वन संरक्षक, संस्थापन (राजपत्रित), कार्यालय प्र.मु.व.स, जयपुर को नियुक्ति आदेशों की तामील हेतु।
18. निजी पत्रावली / रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव, वन

नोटः– सहायक वन संरक्षक के पद पर कार्यग्रहण करते समय अभ्यर्थी निम्नलिखित दस्तावेज एवं प्रपत्र / शपथ पत्र / बंध पत्र आदि जिनका प्रारूप विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है, के अनरूप सम्पूर्ण रूप से तैयार कर साथ लावें:–

1. सहमति पत्र (विन्दु संख्या 3)
2. राजकीय सेवा में कार्यरत अभ्यर्थी द्वारा कार्यमुक्ति आदेश, अनापत्ति प्रमाण–पत्र एवं गत भुगतान प्रमाण–पत्र (विन्दु संख्या 4)
3. निर्धारित संलग्न बंध पत्र रूपये 100 / – के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटरी से सत्यापित (बिन्दु संख्या 8)
4. चरित्र सत्यापन हेतु 'Attestation Form' एवं 'Identity Certificate' (बिन्दु संख्या 13)
5. वैवाहिक स्थिति के संबंध में घोषणा पत्र, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र एवं दिनांक 01.06.2002 को या उसके उपरांत दो से अधिक संतान नहीं होने का घोषणा पत्र (बिन्दु संख्या 14)
6. पासपोर्ट साईज के 5 फोटो।